उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध वाद संख्या–43/2020 एवं

रैयती मान्यता वाद संख्या–03/11–12

सलील टोप्पो

बनाम

राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
दिनांक 15.02.2022	1. प्रस्तुत मामला हजारीबाग जिला के सदर अंचल अन्तर्गत ग्राम–चानो ।।, थाना नं0–149, खाता नं0–15, प्लॉट नं0–1302/1, रकबा–2.15 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि का रैयती मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने का दावा से संबंधित है। 2. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा WP(C) No. 6715/2019 में पारित आदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के माध्यम से प्राप्त संचिका पर निर्णय लने के क्रम में अभिलेख संधारण कर इस वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई। 3. सुनवाई के क्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक की ओर से अपने पक्ष में दावा किया गया कि प्रश्नगत भूमि ग्राम–हुरहुरू, चानो–।।, थाना नं0–149, खाता नं0–15, प्लॉट नं0–1302/1, कुल रकवा–2.15 एकड़ का क्रय आवेदक के पिता स्व0 राफेल टोप्पो द्वारा दिनांक–17.01.1948 को निबंधित केवाला से किया गया। भूमि क्रय करने के वाद दाखिल खारिज वाद सं0–7/1958–59 से राफेल टोप्पो के नाम से अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत किया गया। 4. वर्ष 2011 में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–33 के निर्माण एवं चौड़ीकरण हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अधिग्रहण के बाद आवेदकों को प्रश्नगत् भूमि के मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। पूछताछ के बाद मुआवजा के लिए रैयती मान्यता का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई जिसके बाद उनके द्वारा प्रश्नगत् भूमि का रैयती मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन दिया गया।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

5. रैयती मान्यता हेतु अंचल अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई। तदोपरांत अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक–1112 दिनांक–13.04.2015 से त्रुटि निराकरण हेतु अभिलेख वापस अंचल अधिकारी, सदर को भेजा गया। अंचल अधिकारी, सदर के त्रुटि निराकरण के पश्चात् अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को भेजा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर द्वारा अभिलेख त्रुटि निराकरण हेतु पुनः अंचल अधिकारी, सदर को भेजा गया। अंचल अधिकारी, सदर द्वारा त्रुटि निराकरण कर अभिलेख/संचिका पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को भेजा गया।
6. आवेदक द्वारा पुनः बताया गया कि उनके पिता द्वारा वर्ष 1948 में खरीदगी जमीन को सरकार द्वारा एन0एच0–33 के निर्माण हेतु अधिग्रहित किया गया परन्तु अभी तक प्रश्नगत् भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। आवेदक द्वारा प्रश्नगत् भूमि का रैयती मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
7. सुनवाई के क्रम में आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों पर भू–अर्जन प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन की मांग जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग से करने हेतु निदेशित किया गया।
8. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–1146/भू0अ0, दिनांक–26.12.2020 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिसमें प्रतिवेदित है कि सदर अंचल के अन्तर्गत ग्राम–चानो ।। के खाता संख्या–15, प्लॉट संख्या–1302/1 रकबा–5.05 एकड़ भूमि गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है, जिसका अधियाचना परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा नहीं किया गया है एवं गैर–मजरूआ खास खाते की भूमि सरकारी जमीन रहने के कारण अधिग्रहण की कार्रवाई जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

9. अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं आवेदक के द्वारा समर्पित तथ्यों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत भूमि को सरकारी भूमि मानते हुए आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक–1651 दिनांक–02.06.2015 .के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरण किया जा चुका है। यद्यपि अंचल अधिकारी के द्वारा प्रासंगिक मामले में रैयती मान्यता की अनुशंसा की गयी है। इस प्रकार अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन स्वतः विरोधाभाषी प्रतीत होता है। एक ओर जहाँ अंचल अधिकारी ने प्रासंगिक भूमि को सरकारी भूमि एवं गैरमजरूआ खास खाते की भूमि मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की है, वहीं दूसरी ओर आवेदक के दखल कब्जा की पुष्टि करते हुए रैयतों के पक्ष में रैयती मान्यता की अनुशंसा की गयी है। यदि प्रासंगिक भूमि पर रैयतों का दावा बनता है तो अंचल अधिकारी को भू–अर्जन की प्रकिया के समय ही इस तथ्य का उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार इस मामले में अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन भेजने में लापरवाही स्पष्ट परिलक्षित होती है।

10. अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रासंगिक भूमि आवेदक के पिता को निबंधित केवाला के माध्यम से केवाला संख्या–4969 .दिनांक–13.08.1948 से हासिल होने का उल्लेख किया गया है परन्तु बिक्रेता कौन हैं एवं बिक्रेता को उक्त भूमि कैसे हासिल है, इस तथ्य का उल्लेख नहीं है।

11. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रश्नगत मामले में भूमि का हस्तांतरण झारखण्ड (बिहार) भूमि सुधार अधिनियम–1950 के तहत अधिनियम के प्रवृत होने से पूर्व वर्ष 1948 में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर ऐसे सभी मामले जिसका हस्तांतरण दिनांक 01.01.1946 से उक्त अधिनियम के प्रवृत होने

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

की तिथि के बीच हुआ है, वैसे हस्तांतरण की सत्यता की जॉच किया जाना अपेक्षित है कि उक्त हस्तांतरण विधिवत् है अथवा छद्म ? परन्तु अंचल अधिकारी ने उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई जॉच नहीं किया है। अंचल अधिकारी के द्वारा जमींदार के द्वारा समर्पित जमींदारी रिटर्न से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रासंगिक भूमि का हस्तांतरण वर्ष–1948 में होने एवं 10 वर्ष पश्चात वर्ष–1958 में दाखिल खारिज किये जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु रसीद वर्ष–1964 में निर्गत होने का उल्लेख किया गया है। दाखिल खारिज में विलंब होने एवं रसीद निर्गत में हुए विलंब के संबंध में अंचल अधिकारी के द्वारा कोई भी तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रासंगिक मामले में आवेदक के दावा का निष्पादन स्वत्व निर्धारण के माध्यम से किया जाना उचित प्रतीत होता है जिसमें सभी साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की उचित छानबीन किया जा सकता है।

अतः आवेदक के रैयती मान्यता के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, हजारीबाग

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

उपायुक्त, हजारीबाग

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.04.09 13:51:48 +05:30
Location: 192.168.100.105